न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव।

UPUN120010332016

उपस्थित– हिमानी गौतम, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।

वाद संख्या–990/2016

सरकार बनाम चन्द्रभान उर्फ नन्हा यादव

कथानक अभियुक्त नाम–कमलेश कुमार पुत्र खन्जा निवासी ग्राम बरगांव, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई उ0प्र0।

अ0सं0–186/2015
धारा–29/30 आयुध अधि0

थाना–मौरांवा, उन्नाव।

प्रश्न संख्या 1– अभियोजन पक्ष का कथन के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न संख्या –2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?
उत्तर– जी हॉ।

प्रश्न संख्या –3 आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?
उत्तर– क्यों कि मैने अपराध किया।

प्रश्न संख्या –4 क्या कुछ और कहना है ?
उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्त की परीक्षा मेरी उपस्थिति में की गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा किये गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांकः–11.12.2025

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

अभियुक्त की ओर से संस्वीकृति का प्रार्थनापत्र दिया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वेक्षापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से दाखिल आभिलेखों, अभियुक्त की संस्वीकृति बयान के आधार पर उसे प्रस्तुत मामले में धारा 29/30 आयुध अधि0 के दंण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाते हुए, दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें निरस्त किया जाता है एवं प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में है। उसे दंण्ड के बिन्दु पर

सुना जाएगा।

दिनांकः–11.12.2025

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

दंण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना। अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि वह मजदूरी का काम करता है व अत्यन्त गरीब है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय। जब कि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रावधान के अनुसार अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास आरोपपत्र में वर्णित नहीं है। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दंण्ड़ से दंण्ड़ित किया जाना उचित है।

आदेश

मु0सं0–990/2016, अ0सं0–186/2015, थाना मौरांवा, उन्नाव के प्रकरण में अभियुक्त कमलेश कुमार को धारा 29/30 आयुध अधि0, के दंण्डनीय अपराध हेतु मु0 2,500/–रू0 (दो हजार पॉच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में वह 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–11.12.2025

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–11.12.2025

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।